लोक सेवा (Civil Service)

पाठ-संरचना (Lesson Structure)

1.0. उद्देश्य (Objective)
1.1. परिचय (Introduction)
1.2. लोक सेवा क्या है ? (What is civil service ?)
1.3. लोक सेवा की शक्ति (Power of civil service)
1.4. लोक सेवा की सीमाएँ (Limitations of civil service)
1.5. निष्कर्ष (Conclusion)
1.6. अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)
1.7. प्रस्तावित पाठ (Recommended Books)

1.0. उद्देश्य (Objective)

इस पाठ का उद्देश्य लोक सेवा के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत पाठक निम्नलिखित तथ्यों से परिचित होंगे -

(i) लोक सेवा क्या है ?
(ii) लोक सेवा की शक्ति एवं सीमाएँ क्या हैं ?

1.1. परिचय (Introduction)

वर्तमान विश्व में लोक सेवा का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। सरकार विविध क्षेत्रों एवं विभिन्न स्तरों पर रोजमर्रा से सम्बन्धित असंख्य गतिविधियाँ विशेष रूप से सम्पन्न करती हैं। ये गतिविधियाँ हैं, सामान्य जन की रोजमर्रा की आवश्यकताओं - जल, बिजली इत्यादि की आपूर्ति करना, तत्सम्बन्धी सेवा-शुल्क एकत्र करना, कर एकत्र करना एवं लेखा परीक्षण, विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं उत्पादन की संस्थाओं का निरीक्षण एवं रख-रखाव करना, जनगणना व निर्वाचन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न करना, डाक-तार का वितरण, संचार साधनों की व्यवस्था करना, अस्पतालों एवं औषधालयों का संचालन इत्यादि। इन विविध प्रशासनिक लोक सेवाओं का संचालन सरकार द्वारा नियोजित अधिकारी वर्ग या कर्मचारियों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। यह अधिकारी वर्ग लोक सेवक के नाम से जाने जाते हैं और इस वर्ग से युक्त सेवाओं को लोक-सेवाएँ कहा जाता है।

1.2. लोक सेवा क्या है ? (What is civil service)

'लोक सेवा' (Civil Service) शब्द राज्य की प्रशासकीय सेवा की असैनिक शाखाएँ हैं। इस शब्द का प्रयोग उस वर्ग के लिए किया जाता है जिसके सदस्य विभिन्न प्रकार की लोक सेवाओं में काम करते हैं। इसमें केवल नागरिक कर्मचारी ही आते हैं। लोक सेवाओं की श्रेणी में न्यायिक, सैनिक और पुलिस सेवा के कर्मचारी नहीं आते हैं।

हर्मन फाइबर ने कहा है कि लोक सेवा "अधिकारियों का ऐसा पेशेवर निकाय है जो स्थायी, वेतनभोगी तथा कार्यकुशल या दक्ष होता है।"

ब्रिटेन में लोक सेवक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है "सिविल सेवक को क्राउन का सेवक कहा जा सकता है जिसे सिविल हैसियत में नियुक्त किया गया हो तथा जिसका वेतन पूर्णतया संसद द्वारा पास किए गए धन से अदा किया जाता हो।"

1.3. लोक सेवा की शक्ति (Power of civil service)

राजनीतिक कार्यकारी तथा सिविल सेवा के कार्यों में अंतर रखना सुगम नहीं है; क्योंकि नीति निर्धारण

के सवाल में लोक सेवा का बहुत योगदान है। इन्हीं लोक सेवकों की सलाह और सूचना पर मंत्रिमंडल द्वारा सामान्य नीति निर्धारण होता है। इन नीतियों के आधार पर लोक सेवक सार्वजनिक कार्यों के प्रति अपना दायित्व निर्वाह करता है। लोक सेवकों द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं –

(i) परामर्श देना (To Advice) : प्रत्येक देश में लोक–सेवक को दो प्रकार की भूमिका में कार्य करना पड़ता हैं – वास्तविक कार्य को सम्पन्न करने के लिए वह मुख्य कार्यपालिका की इच्छाओं के अनुरूप अपने दायित्वों को सम्पन्न करता है। इस दृष्टि से उसे जिस प्रकार के उत्तरदायित्व दिए जाते हैं, वह सम्पन्न करता है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण कार्य मुख्य कार्यपालिका को उसके महत्वपूर्ण कार्यों में परामर्श देना है। एक अनुभवी और कुशल लोक–सेवक इस कार्य द्वारा राजनीतिक कार्यपालिका पर हावी हो सकता है, क्योंकि उसका परामर्श उसके विशिष्ट ज्ञान पर आधारित होता है जिसे सहजता से नकारा नहीं जा सकता।

(ii) नीति निर्माण (Policy Making) : लोक प्रशासन की संशोधित अवधारणा में लोक प्रशासकों को नीति निर्माण सम्बन्धी विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है। यह माना जाता है कि चाहे लोक–सेवक मुख्य नीति का भले ही निर्धारण न करें, परन्तु राजनीतिक सेवकों द्वारा उद्घोषित मुख्य नीति का वे इस प्रकार संरूपण करते हैं कि अंततः नीति का निर्माण स्वंय उन्हीं के द्वारा किया गया प्रतीत होता है। नीति–निर्माण के सम्बन्ध में वे सूचनाएँ एकत्र करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और नीति विकल्प सुझाते हैं। नीति विकल्प सुझाते हुए एक प्रवीण लोक–सेवक अपने राजनीतिक बॉस के मनोमस्तिष्क का विश्लेषण भी करता है और इसी इच्छा–अनिच्छा को ध्यान रखते हुए नीतियाँ सुझाता है।

(iii) नियोजन कार्यक्रम (Programme Planning) : व्यापक रूप में नियोजन राजनीतिक कार्यपालिका की जिम्मेदारी है, किन्तु इसकी सफलता बहुत कुछ लोक सेवकों पर निर्भर करती है। लोक सेवकों को प्रदत्त विधायन के द्वारा सरकार की सेवा करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। अतः अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना और कार्यक्रम प्रस्तुत करने का दायित्व लोक सेवकों का है। इस काम के लिए उनमें व्यापक अनुभव का होना जरूरी है।

(iv) उत्पादन (Production) : उत्पादन लोक सेवकों के कार्य का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। विकास के अनेक कार्य उत्पादन से सम्बन्धित है। अतः उत्पादन की मात्रा लोक सेवकों की कार्य कुशलता, योग्यता और दूरदर्शिता का मापदंड है। उत्पादन चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो, लोक सेवकों के संदर्भ में इनका महत्वपूर्ण कार्य है कि वे इससे लोक कल्याणकारी राज्य के निकट पहुँच सकते हैं।

(v) संगठन और विधियाँ (Organisation and Methods) : लोक सेवकों के कार्यों की सूची में संगठन और विधि भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसके द्वारा लोक सेवक जनता में लोकप्रिय बनते हैं और सरकार अपने उत्तरदायित्व को निभाने योग्य बनती है। ब्रिटेन में ट्रेजरी बेंच के रूप में, अमेरिका में कार्यकुशलता ब्यूरो के रूप में और भारत में संगठन और विधि विभाग के रूप में इसकी स्थापना की गई है।

(vi) अर्ध–न्यायिक कार्य (Adjudicatory Function) : जिन देशों में न्याय की दोहरी व्यवस्था पाई जाती है, जैसे फ्रांस में सामान्य कानून और प्रशासनिक कानून व्यवस्था है। वहाँ प्रशासकीय सेवक कर्मचारियों से सम्बन्धित विवादों को निपटाने के लिए अनिवार्य रूप से न्यायिक कार्य संपन्न करते हैं; परन्तु न्यायिक क्षेत्र में लोक–सेवकों की भूमिका उन देशों में भी बढ़ रही है, जहाँ सामान्य कानून की व्यवस्था पायी जाती है। सामान्य न्यायालयों में बढ़ती हुई संख्या और निर्णय सम्बन्धी होने वाले विलम्ब के कारण कार्यकारी विभागों में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इन न्यायाधिकरण में विभागीय विवादों को विभागीय प्रशासनाधिकारियों द्वारा ही निपटाया जाता है।

1.4. लोक सेवा की सीमाएँ (Limitations of civil service)

1. लोक सेवक पर लालफीताशाही का आरोप लगता है।

2. यह नियम एवं कानून से बंधे होते हैं जिसके कारण निर्णय लेने में समस्या होती है।
3. लोक सेवक पर विधानपालिका का नियंत्रण होता है।
4. यह सरकार और जनता के बीच कड़ी का कार्य करता है।
5. इस पर संसदीय एवं मंत्रिमंडल का नियंत्रण रहता है।

1.5. निष्कर्ष (Conclusion)

लोक-सेवाओं की भूमिका सम्बन्धी कार्यसूची के विस्तार और विविधता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोक सेवक ने नयी तानाशाही का भय प्रकट किया है। आज उनकी स्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई है। इनके कार्यों में वृद्धि के साथ-साथ लोकसेवकों की संख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, विशेषज्ञों की उपस्थिति बढ़ रही है लेकिन तटस्थता, निष्पक्षता और व्यावसायिक मानदंडों में गिरावट आ रही है जिसके परिणामस्वरूप जनता के मध्य लोक प्रशासकों की प्रतिष्ठा घटी है। यदि लोक सेवकों को सम्मान और प्रतिष्ठा पुनः हासिल करनी है तो यह आवश्यक है कि उन्हें पूर्ण निष्ठा और सेवा भाव से अपने दायित्व को सम्पन्न करना होगा और उन आदर्शों की सुरक्षा करनी होगी जिससे कि उन्हें लोक-सेवकों के रूप में पुकारना सार्थक हो।

1.6 अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)

1. लोक सेवक का अर्थ बताइए तथा इनके कार्यों का वर्णन कीजिए।
   Describe the meaning of government servant and discuss its functions.
2. लोक सेवक की शक्ति की व्याख्या करें।
   Explain the power of government servant.

1.7. प्रस्तावित पाठ (Recommended Books)

1. इंद्रजीत कौर : लोकप्रशासन, एम. बी. डी. पब्लिकेशंस, आगरा, 2010
2. वीरकेश्वर प्रसाद सिंह : लोकप्रशासन, ज्ञानदा प्रकाशन, दिल्ली, 2011
3. अवस्थी एवं माहेश्वरी : लोकप्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 2011
4. बी.एल. फाड़िया : लोकप्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2016.

❑❑❑

संवैधानिक कानून और प्रशासकीय कानून में सम्बन्ध

(RELATIONSHIP BETWEEN CONSTITUTIONAL LAW AND ADMINISTRATIVE LAW)

पाठ-संरचना (Lesson Structure)

1.0. उद्देश्य (Objective)
1.1. परिचय (Introduction)
1.2. संवैधानिक कानून क्या हैं ?(What is Constitutional Law)
1.3. प्रशासकीय कानून क्या हैं ?(What is Administrative Law)
1.4. संवैधानिक कानून और प्रशासकीय कानून में समानता (Similarity between Constitutional Law and Administrative Law)
1.5. संवैधानिक कानून और प्रशासकीय कानून में असमानता (Differences between Constitutional Law And Administrative Law)
1.6. निष्कर्ष (Conclusion)
1.7. अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)
1.8. प्रस्तावित पाठ (Recommended Books)

1.0. उद्देश्य (Objective)

इस पाठ का उद्देश्य संवैधानिक कानून और प्रशासकीय कानून के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस पाठ के अध्ययन के उपरान्त विद्यार्थीगण निम्नलिखित तथ्यों से परिचित हो सकेंगे –

(i) संवैधानिक कानून क्या है ?
(ii) प्रशासकीय कानून क्या है ?
(iii) संवैधानिक कानून एवं प्रशासकीय कानून में समानताएँ एवं असमानताएँ कौन-सी हैं ?

1.1. परिचय (Introduction)

संवैधानिक कानून और प्रशासकीय कानून लिखित संविधान वाले देश में स्पष्ट है। अलिखित संविधान वाले देश जैसे इंग्लैंड में अस्पष्ट है। संवैधानिक कानून का मुख्य स्रोत स्वंय संविधान है जबकि प्रशासकीय कानून का अधिकतर स्रोत संविधान के बाहरी स्रोतों से प्राप्त होता है।

प्रजातान्त्रिक सरकार में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सरकार के अनिवार्य तत्व माने जाते हैं जिन्हें स्वस्थ और प्रशक्त प्रशासनिक कानून द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अत: प्रशासकीय कानून को बीसवीं शताब्दी का उल्लेखनीय कानूनी विकास माना गया है।

1.2 संवैधानिक कानून क्या है ? (What is Constitutional Law)

संवैधानिक विधि कानून का अंग है जो राज्य के भीतर विभिन्न संस्थाओं की भूमिका, शक्तियों और संरचना को परिभाषित करता है। अर्थात, संवैधानिक विधि वे विधियाँ है, जिनमें शासन के संगठन, शक्तियों और कार्यों का विवेचन किया गया हो। अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अधिकार एवं कार्य, साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे संघीय देशों में भी केंद्र सरकार और राज्य, प्रांतीय और क्षेत्रीय शासन के बीच संबंधों के संबंध में संविधान का गठन किया गया है। अधिकतर देशों में, जैसे कि संयुक्त राज्य, भारत और सिंगापुर में संवैधानिक विधि उस समय पर अनुकृत दस्तावेज के पाठ पर आधारित है जो राष्ट्र के अस्तित्व में आया। विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम के अन्य संविधानों में संवैधानिक विधि अलिखित नियमों पर निर्भर होते है जिन्हें संवैधानिक परम्पराओं के रूप में जाना जाता है।

ए. वी. डायसी के अनुसार सरकार को कानून के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने संवैधानिक

कानून की व्याख्या तीन अर्थो में की है –

1. किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से, शारीरिक रूप से या अन्य रूप से तब तक दण्डित नहीं किया जा सकता, जब तक सामान्य न्यायालय द्वारा उसे देश के कानून को भंग करने के लिए कानूनी रूप से दोषी प्रमाणित न कर दिया गया हो।
2. प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष बराबर है। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। प्रत्येक नागरिक देश के सामान्य कानूनों के अधीन है तथा सभी के लिए एक ही कानून है। सभी कानून के समक्ष बराबर हैं।
3. संविधान के सामान्य सिद्धांत उन न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं जो न्यायालयों के सामने समय-समय पर लाए गए अभियोगों में दिए गए हैं और जिनके द्वारा नागरिकों के अधिकारों की मर्यादा की रक्षा हुई है। इस प्रकार ब्रिटेन में कानून का स्रोत संविधान नहीं है।

1.3. प्रशासकीय कानून क्या है ? (What is Administrative Law ?)

प्रशासकीय कानून शासन के सभी अंगों के प्रशासन से सम्बंधित कानून या विधि है। सामान्यत: प्रशासकीय कानून में हम संवैधानिक नियम, अधिनियम, प्रस्ताव, नियम, न्यायिक निर्णय, प्रशासकीय अधिकारियों के कार्य और उतरदायित्व कि व्यवस्था अथवा व्याख्या विषयक निर्देश प्रस्तुत करने वाले आदेशों को रखते हैं। संकुचित अर्थ में प्रशासकीय कानून प्रशासकीय अधिकारियों की स्वविवेक सत्ता के प्रयोग से सम्बन्धित हैं जिसका प्रयोग उन्हें कुछ सीमाओं में करना होता है।

प्रशासकीय कानून की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की है :

प्रो. डायसी ने फ्रांस के संदर्भ में इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि फ्रांस की प्रशासकीय विधि प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के वे सिद्धांत है जिनके आधार पर राजसत्ता के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के कर्मचारियों और जनता के पारस्परिक व्यवहार का निर्णय एवं नियंत्रण होता है।

आइवर जेनिंग्स के शब्दों में, "प्रशासकीय कानून प्रशासन से सम्बन्धित कानून हैं। यह प्रशासकीय संगठन, कार्यों एवं उनकी शक्तियों का निर्धारण करता है तथा व्यक्ति को उसके अधिकारों की उल्लघंन की दशा में उपचारों का पता देता है।"

एफ. जी. गुडनाऊ के अनुसार, "प्रशासकीय कानून सार्वजनिक कानून का वह भाग है जो प्रशासकीय पदाधिकारियों के संगठन तथा उनकी समर्थता का निश्चय करता है तथा व्यक्ति को सूचित करता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन होने पर क्या उपचार प्राप्त हैं।"

रेने डेविड के शब्दों में, "प्रशासकीय कानून का अर्थ उन नियमों से है जो लोक प्रशासन के संगठन तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों तथा नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्धों को नियमित करते है"

प्रशासकीय कानून की विशेषताएँ (Features of Administration Law)

विभिन्न लेखकों द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर प्रशासकीय कानून की निम्नलिखित विशेषताएँ बतायी जा सकती हैं –

1. यह सरकारी अधिकारीयों को उनके सरकारी कार्यों के लिए साधारण न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति प्रदान करता है।
2. जब नागरिक अधिकारों के विरुद्ध उनके गलत कार्यों के लिए कोई मुकदमा चलाना चाहते है तो तदर्थ विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है।
3. यह प्रशासकीय आदेशों की वैधता से सम्बन्धित नियमों का उल्लेख करता है।
4. यह सरकारी कार्यो और वैयक्तिक कार्यो के बीच भेद करता है।
5. यह नागरिकों को राज्य अधिकारियों के निरंकुश कार्यों से उत्पन्न हानि की क्षतिपूर्त्ति प्रदान कराता है।
6. यह नागरिकों के प्रति प्रशासकीय अधिकारीयों के संबंधों का नियमन करता है।
7. यह प्रशासकीय अधिकारियों की समर्थता का निर्धारण करता है।
8. यह पीड़ितों को उपचार प्राप्त करने का ढंग बतलाता है।

9. यह राज्य अधिकारियों के पदों तथा नागरिकों के दायित्वों एवं अधिकारों का निर्धारण करता है।
10. यह इन अधिकारों एवं दायित्वों को लागू कराने की विधि का निश्चय करता है।

प्रशासकीय कानून के स्रोत (Sources of Administrative Law)

प्रशासकीय कानून के अंतर्गत अनेक विधियों आज्ञा-पत्र, नियम, विनियम, कार्यविधियाँ, प्रस्ताव, आदेश एवं निर्णय आदि सम्मिलित है जिनका उद्देश्य प्रशासन का सुगम संचालन है। वास्तव में प्रशासन प्रशासकीय कानून की उपज एवं उसका जनक दोनों है। कुछ नियम एवं विनिमय ऐसे है जो इसको शासित करते हैं तथा कुछ ऐसे भी है जिनके द्वारा यह शासित होता है। प्रशासकीय कानून के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है :

1. देश का संविधान
2. विधानमंडल द्वारा पास कानून एवं प्रस्ताव
3. आज्ञा पत्र ,स्थानीय निकाय कानून
4. अध्यादेश, नियम, विनियम, प्रस्ताव, आदेश, निर्देश एवं निर्णय आदि जो प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए है।
5. न्यायालयों के निर्णय।
6. रीति-रिवाज एवं परम्पराएँ।

प्रशासकीय कानून का क्षेत्र (Scope of Administrative Law)

प्रशासकीय कानून समस्त लोक प्रशासन को आच्छादित करता है जहाँ तक कि औपचारिक कानूनों और नियमों द्वारा इस पर प्रभाव पड़ता है। वास्तविकता यह है कि यूरोप महाद्वीप के देशों में लोक प्रशासन का अध्ययन प्रशासनिक कानून के नाम के अंतर्गत किया गया है। अमरीका में 'सामाजिक अनुसन्धान परिषद्' की लोक प्रशासन समिति ने 1938 में निम्न बातों को सम्मिलित किया था।

1. लोक कार्मिकों की समस्याएँ
2. वित्तीय प्रशासन की समस्याएँ
3. प्रशासकीय विवेक के सम्बन्ध में कानूनी शर्ते,
4. प्रशासनिक कानूनों तथा प्रशासनिक न्यायालय की समस्याएँ
5. प्रशासनिक नियंत्रण अथवा नियमन
6. प्रशासनिक परीक्षण की समस्याएँ
7. सरकारी ठेके
8. सरकार के विरुद्ध मुकदमें
9. प्रशासनिक कार्य के विरुद्ध उपचार
10. व्यावसायिक संगठनों की मान्यता से सम्बन्धित प्रश्न।
11. प्रशासनिक समूहों की स्थिति और मान्यता सम्बन्धी कानून।

1.4. संवैधानिक कानून और प्रशासकीय कानून में समानता (Similarity between Constitutional Law and Administrative Law) -

1. संवैधानिक कानून और प्रशासनिक विधि के शक्तियों का स्त्रोत संविधान से मिलता है।
2. ये दोनों विधि लिखित और अलिखित संविधान में विद्यमान हैं।
3. इन विधियों के उल्लंघन होने पर न्यायालय दंड देती है।
4. यदि देश में अचानक समस्या आ जाती है तो इसके लिए सरकार अध्यादेश जारी कर सकती है।

1.5 संवैधानिक कानून और प्रशासकीय कानून में असमानता (Differences between Constitutional Law and Administrative Law)

1. संवैधानिक कानून का स्रोत स्वंय संविधान होता है जबकि प्रशासकीय कानून अधिकतर लिखित संविधान के बाहर के स्रोतों से प्राप्त होते हैं।

2. प्रशासनिक कानून का सम्बन्ध प्रशासनिक सत्ताधारियों के कार्यों, शक्तियों और उनके ऊपर नियंत्रण से होता है। संविधान का सभी सरकारी शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध होता है।
3. संवैधानिक विधि देश में शासन-यन्त्र की रचना और गठन करती है। जबकि प्रशासकीय विधि इस यन्त्र के अलग-अलग भागों और कल-पुर्जों से सम्बन्ध रखकर अपनी व्यवस्था द्वारा उन्हें संचालित और कार्यरत करती हैं।
4. संवैधानिक विधि नागरिकों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करती है। जबकि प्रशासनिक विधि कर्मचारियों एवं सामान्य जनता के सम्बन्ध को निर्धारित करती है।
5. नागरिकों के बीच के झगड़ों का निपटारा संवैधानिक विधि के अनुसार सामान्य न्यायालयों में होता है लेकिन नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के बीच विवादों का निपटारा प्रशासनिक विधि के अनुसार प्रशासनिक न्यायालयों द्वारा होता है।

1.6 निष्कर्ष (Conclusion):

उपर्युक्त समानता और असमानता के बावजूद कहा जा सकता है कि प्रशासनिक विधि और संवैधानिक कानून की सर्वमान्य रूपरेखा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अलग अलग विचार पाए जाते है। कुछ लोग संविधान को प्रशासकीय विधि के अंतर्गत इस तर्क के आधार पर रखते हैं कि यह प्रशासन को जन्म देता है तथा कुछ महत्त्वपूर्ण अभिकरणों, पदों और अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख भी करता है। परन्तु दूसरी तरफ कुछ ऐसे विशेषज्ञ है जो संविधान को प्रशासकीय विधि की परिधि में नहीं रखते, बल्कि उसे प्रशासकीय विधि का स्रोत बतलाते हैं क्योंकि सम्पूर्ण प्रशासनिक नियम, उपनियम, विधि और व्यवस्था, स्थापना और संचालन का मुख्य स्त्रोत बतलाते हैं।

1.7 अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)

1. संवैधानिक विधि क्या है तथा इसकी व्याख्या करें ?
   What is constitutional law describe it ?
2. संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि में अंतर बताएँ ?
   Explain the difference between constitutional law and administrative law ?
3. प्रशासकीय विधि क्या है तथा इसकी विशेषताएँ बताएँ ?
   What is administrative law and discuss its characteristics ?

1.8. प्रस्तावित पाठ (Recommended Books)

1. इंद्रजीत कौर : लोकप्रशासन, एम. बी. डी. पब्लिकेशंस, आगरा, 2010
2. वीरकेश्वर प्रसाद सिंह : लोकप्रशासन, ज्ञानदा प्रकाशन, दिल्ली, 2011
3. अवस्थी एवं माहेश्वरी : लोकप्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 2011
4. बी.एल. फाड़िया : लोकप्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2016.

❑❑❑

स्थानीय स्वशासन (Local Self Government)

पाठ-संरचना (Lesson Structure)

1.0. उद्देश्य (Objective)
1.1. परिचय (Introduction)
1.2. स्थानीय स्वशासन क्या है ? (What is Local Self Government)
1.3. स्थानीय स्वशासन की शक्ति (Power of Local Self Government)
1.4. स्थानीय स्वशासन की सीमाएँ (Limitations of Local Self Government)
1.5. निष्कर्ष (Conclusion)
1.6. अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)
1.7. प्रस्तावित पाठ (Recommended Books)

1.0 उद्देश्य (Objective)

इस पाठ का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस पाठ को पढ़ाने के उपरान्त विद्यार्थीगण निम्नलिखित तथ्यों से परिचित हो सकेंगे-

(i) स्थानीय स्वशासन क्या है ?
(ii) स्थानीय स्वशासन की शक्ति एवं विशेषताएँ क्या हैं ?
(iii) पंचायती राज का कार्य क्या है ?
(iv) शहरी स्थानीय स्वशासन क्या है ?

1.1 परिचय (Introduction)

स्थानीय स्वशासन लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। इस आधार पर जनता की सहभागिता लोकतंत्र के प्रति बढ़ी है और भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। शहरी स्थानीय शासन का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी सरकार से है। स्थानीय स्वशासन दो स्तर पर है प्रथम ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्तर पर शहरी स्थानीय स्वशासन। स्थानीय शासन का तात्पर्य स्थानीय स्तर की उन संस्थाओं से है जो जनता द्वारा चुनी जाती हैं, जिन्हें राष्ट्रीय और प्रान्तीय शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं।

वर्ष -1870 में लॉर्ड मेयो ने भारत में स्थानीय शासन लागू करने की अनुशंसा की तथा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली बार स्थानीय शासन बोर्ड की स्थापना हुई, जो स्थानीय शासन के विकास में एक महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक उपलब्धि मानी गई। राष्ट्रीय आन्दोलन में गाँधी जी ने पंचायती राज को अत्यंत लोकप्रिय बनाया। संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन प्रसिद्ध गाँधीवादी श्रीमान् नारायण अग्रवाल ने किया और पंचायती राज को संविधान के निदेशक तत्वों के भाग (अनुच्छेद 40) में सम्मिलित किया गया। स्वतंत्र भारत में जे.सी. कुमारप्पा ने गाँधीवादी आदर्शों के आधार पर गाँधीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया।

1.2. स्थानीय स्वशासन क्या है ? (What is Local Self Government)

स्थानीय स्वशासन जमीनी स्तर पर कार्य करने वाला ऐसा शासन है, जो आम आदमी के दैनिक जीवन से जुड़ा होता है। गोखले के अनुसार, "एक निश्चित इलाके में निवास करने वाले लोगों द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार ही स्थानीय स्वशासन है।" ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के तहत भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू है। ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। पूरे देश में पंचायती राज की संरचना में एकरूपता पाई जाती है।

1.3. स्थानीय स्वशासन की शक्ति (Power of Local Self Government)

स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय स्वशासन दोनों ही आते हैं।

ग्रामीण स्थानीय शासन : 73वें संविधान संशोधन (1992) के द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वायत्त शासन को सांविधानिक आधार प्रदान किया गया। ग्रामीण स्थानीय शासन के तीन रूप हैं - ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्।

ग्राम पंचायत : यह ग्राम स्तर पर काम करने वाली ग्राम सभा की कार्यकारी समिति है।

ग्राम पंचायत के कार्य -

(अ) नागरिक सुविधाएँ : ग्राम पंचायत नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए सफाई, गंदे पानी के निकास, पीने का स्वच्छ जल, सुविधाजनक आवागमन के रास्ते तथा प्रकाश की व्यवस्था करती है। बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों की समुचित व्यवस्था करना भी ग्राम पंचायत का कार्य है।

(ब) समाज कल्याण : ग्राम पंचायत जन्म तथा मृत्यु का आँकड़े रखती है, परिवार नियोजन एवं कल्याण के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए उपाय करती है। कृषि विकास तथा पशुपालन एवं कल्याण के लिए समुचित कार्य करती है। प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्रों को सफल बनाने का कार्य भी पंचायत करती है।

(स) विकास कार्य : सड़क, खरंजा, नाली, तालाब, स्कूल का निर्माण, गाँवों में पंचायत घर का निर्माण करवाना तथा पुस्तकालय आदि का व्यवस्था करना आदि।

पंचायत समिति

ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद् के मध्य में स्थानीय निकाय के संगठन को विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों; जैसे - पंचायत समिति, आंचलिक परिषद्, क्षेत्र समिति, आंचलिक पंचायत आदि से जाना जाता है, इसके संगठन का प्रारूप भी विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है, लेकिन फिर भी साधारणतया इसके संगठन एवं कार्यों में एकरूपता मिलती है। पंचायत समिति में साधारणतया उससे सम्बन्धित ग्राम पंचायतें के प्रमुख उसके सदस्य होते हैं। कुछ सदस्य, महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों में से भी मनोनीत किए जाते हैं। यह पंचायत समिति अपना प्रमुख चुनती है जोकि विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों; जैसे- प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि से जाने जाते है। यह पंचायत समिति ब्लॉक स्तर अथवा विकास खंड स्तर पर होती है।

पंचायत समिति के कार्य -

(क) यह क्षेत्रीय विकास के लिए योजना तथा कार्यक्रम तैयार करती है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात् लागू करती है।

(ख) सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यन्वित करती है।

(ग) अपने क्षेत्र में समिति, स्वास्थ्य प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छता तथा संचार एवं संपर्क के उत्तरोत्तर विकास के लिए कार्य करती है।

(घ) यह क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के कार्य का निरीक्षण के साथ-साथ उनके बजट पर भी विचार करती है।

जिला परिषद् - यह त्रिस्तरीय व्यवस्था में, जिला स्तर की संस्था होती है। यह क्षेत्र समिति और ग्राम पंचायतों तथा राज्य सरकारों के मध्य तालमेल बिठाने का कार्य करती है।

जिला परिषद के कार्य -

जिला परिषद् समन्वय तथा पर्यवेक्षण करने वाला निकाय है। साधारणतया यह निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करती है -

(a) पंचायत समितियों के विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करना।

(b) पंचायत समितियों में राज्य सरकार से प्राप्त तत्कालीन अनुदान वितरित करना।

(c) पंचायत समितियों के बजट का योजना के अनुरूप निरीक्षण करना तथा निर्देश देना।

(d) पंचायतों के कार्यों की प्रगति की राज्य सरकार को सूचनाएँ देना तथा आवश्यक निर्देश प्राप्त करना।

(e) प्रधानों, प्रमुख आदि की गोष्ठियाँ करवाना तथा सम्पर्क बनाए रखना।

(f) जिले से सम्बंधित कोष तथा उत्पादन कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करवाना।

(g) विकास कार्यकर्मों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सलाह देना।

शहरी स्थानीय शासन

शहरी स्थानीय शासन का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी सरकार से है। शहरी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र उन निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है।

भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं- नगरपालिका परिषद, नगरपालिका, क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र समिति, पत्तन न्यास और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी।

नगरीय शासन की प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। केंद्र स्तर पर "नगरीय स्थानीय शासन" का विषय निम्नलिखित तीन मंत्रालयों से संबंधित है :

1. नगर विकास मंत्रालय, जो कि 1985 में एक अलग मंत्रालय के रूप में सृजित हुआ ।
2. रक्षा मंत्रालय, कैंटोनमेंट बोर्डो के मामले में
3. गृह मंत्रालय, संघीय क्षेत्रों के मामलों में

74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयों को सांविधानिक आधार प्रदान किया गया। ये सस्थाएँ सम्पूर्ण देश में विद्यमान हैं। इस भाग में दो निकाय हैं - स्वायत्त शासन की संस्थाएँ (अनुच्छेद 243 थ) और योजना संस्थाएँ (अनुच्छेद 243 य थ और 243 य ङ)
स्वायत्त शासन की संस्थाओं को नगरपालिका की संज्ञा दी गयी है जो तीन हैं -

- नगर पंचायत - ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है।
- नगर परिषद - छोटे नगर क्षेत्र के लिए एवं
- नगर निगम - बड़े नगर क्षेत्र के लिए।

शहरी स्थानीय शासन के कार्य -

संविधान में नवीन बारहवीं अनुसूची का समावेश करके नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में आने वाले 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है।

नयी व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान किए गए कार्यों की सूची का अवलोकन करने पर समस्त कार्यों को तीन शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है- (I) पारम्परिक, (II) विकासात्मक और (III) लोक - कल्याणकारी।

- **पारंपरिक कार्य (Conventional Duties)** -इसमें स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक सेवाओं का प्रबन्ध और नियमन शामिल है; जैसे- पानी, सड़कों, आग इत्यादि सम्बन्धी कार्य।
- **लोक-कल्याणकारी कार्य (Welfare Duties)**- इसमें शहरी गरीबी का निवारण, कमजोर वर्ग के हितों का संरक्षण, इत्यादि कार्य आते हैं।
- **विकासात्मक कार्य (Developmental Duties)**- अपने स्थान या नगर के एकरूप आर्थिक और भौतिक विकास के लिए सुसम्बद्ध योजना बनाना।

1.4. स्थानीय स्वशासन की सीमाएँ (Limitations of Local Self Government)

1. नौकरशाही को परोक्ष रूप में नियंत्रण का अधिकार।
2. अनेक प्रशासनिक एवं तकनीकी कर्मचारी राज्य के प्रतिनिधि के रूप में जिनपर पंचायतों का नियंत्रण नहीं।
3. पंचायत अधिनियमों में पंचायतों के रोजमर्रा के नियम व् उपनियम नहीं।
4. राज्य स्तरीय नेतृत्व पंचायतीराज प्रतिनिधियों को भविष्य के लिए प्रतिद्वंद्वी मानता है।
5. पंचायतीराज सदस्य अशिक्षित व् कौशलहीन परिणामत: ग्रामीण विकास के तकनीकी पहलू समझने में

असमर्थ जिससे नौकरशाही प्रभावी रहती है

6. राजनीतिक चेतना का निम्न स्तर, सामाजिक विषमता, निरक्षरता, जातीय, धार्मिक संघर्ष, भूमि सुधारों का अभाव, पितृसत्तात्मक सामंती समाज।

1.5. निष्कर्ष (Conclusion)

विभिन्न राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाई है जो कुछ ग्रामीण विकास हुआ है वह सरकारी तंत्र द्वारा हुआ है। पंचायतों की भूमिका उनमें सकरात्मक नहीं रही। उसी तरह नगरपालिका नगरों में भी वित्तीय समस्याएँ हैं। इनके पास लोगों की बढती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आर्थिक स्रोत नहीं है। यदि स्थानीय संस्थाओं को अपने कार्यक्षेत्र में स्वावलंबी बनना है तो इसके लिए इन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध व स्वावलंबी बनाना आवश्यक है।

1.6. अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)

1. स्थानीय स्वशासन क्या है ? इसकी विशेषताओं के बारे में बताएँ।
   What is local self government ? Explain its features.
2. ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को विस्तार से समझाएँ
   Explain in detail of rural local self Government
3. शहरी स्थानीय स्वशासन को विस्तार से समझाएँ।
   Explain in detail of urban local self Government.

1.7. प्रस्तावित पाठ (Recommended Books)

1. इंद्रजीत कौर : लोकप्रशासन, एम. बी. डी. पब्लिकेशंस, आगरा, 2010
2. वीरकेश्वर प्रसाद सिंह : लोकप्रशासन, ज्ञानदा प्रकाशन, दिल्ली, 2011
3. अवस्थी एवं माहेश्वरी : लोकप्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 2011
4. बी.एल. फाड़िया : लोकप्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2016.

❑❑❑

POLITICAL AUTHORITIES (राजनीतिक सत्ता)

राजनीतिक कार्यपालिका (POLITICAL EXECUTIVE)

पाठ-संरचना (Lesson Structure)

1.0. उद्देश्य (Objective)
1.1. परिचय (Introduction)
1.2. राजनीतिक कार्यपालिका क्या है ? (What is Political Executive)
1.3. राजनीतिक कार्यपालिका की शक्ति (Power of Political Executive)
1.4. राजनीतिक कार्यपालिका की सीमाएँ (Limitations of Political Executive)
1.5. निष्कर्ष (Conclusion)
1.6. अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)
1.7. प्रस्तावित पाठ (Recommended Books)

1.0. उद्देश्य (Objective)

इस पाठ का उद्देश्य राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस पाठ के अध्ययनोपरांत विद्यार्थीगण निम्नलिखित बातों से परिचित होंगे -

(i) राजनीतिक कार्यपालिका क्या है ?

(ii) राजनीतिक कार्यपालिका की शक्ति एवं विशेषताएँ क्या हैं ?

1.1 परिचय (Introduction) :

भारत में संसदीय लोकतंत्र के साथ संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें शासन के तीन अंग होते हैं जो क्रमशः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। इनका कार्य क्रमशः कानून निर्माण, कानून का क्रियान्वयन एवं संविधान की रक्षा, उसकी व्याख्या करना है। आधुनिक काल में जैसे-जैसे लोकतंत्र और संविधानवाद का विकास हुआ, कार्यपालिका की संरचना में परिवर्तन आने लगे। वर्त्तमान में कार्यपालिका के दो अंग है - पहला राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा स्थायी कार्यपालिका।

1.2. राजनीतिक कार्यपालिका क्या हैं ? (What is Political Executive)

प्रशासन का प्रमुख कार्य जनता द्वारा निर्वाचित विधानमंडलों द्वारा निश्चित की गई नीतियों, प्रस्तावों और निर्णयों को कार्य-रूप में परिणत करना और लागू करना होता है। यह कार्य शासन के जिस अंग द्वारा किया जाता है, उसे कार्यपालिका कहा जाता है। इसका अध्यक्ष प्रशासन के समस्त कार्यों को सम्पादित करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे-कानून को संगठन के साथ रोजाना लागू करते हैं।

राजनीतिक कार्यपालिका उसे कहते हैं जो सरकार के प्रधान और उनके मंत्री होते हैं अथवा राजनीतिक कार्यपालिका वे होते हैं जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं; जैसे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य।

राजनीतिक कार्यपालिका से तात्पर्य सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद से है जिसमें केबिनेट मंत्री से लेकर उपमंत्री सम्मिलित होते हैं। ये सभी जन प्रतिनिधि होते हैं जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते है। इनका कार्यकाल अस्थायी प्रकृति का होता है। ये मंत्री विभाग के राजनीतिक प्रमुख होते है।

1.3. राजनीतिक कार्यपालिका की शक्ति (Power of Political Executive)

राजनीतिक कार्यपालिका के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होती हैं -

(i) प्रशासनिक शक्ति (Administration Power) : कार्यपालिका का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य देश में शांति व्यवस्था तथा सुरक्षा स्थापित करना है। इसके लिए मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री के पास एक विभाग होता है और

वह अपने विभाग के योग्य प्रशासन के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना और कानून भंग करने वालों को दण्डित करवाना भी कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। इन कार्यों के अतिरिक्त सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य, जैसे- रेल, तार एवं डाक, कृषि आदि की व्यवस्था भी वर्त्तमान काल में कार्यकारिणी के आवश्यक कर्तव्य बन गए हैं।

(ii) सैनिक शक्ति (Military power) : प्रत्येक देश की कार्यपालिका का प्रधान देश की सम्पूर्ण सेनाओं का प्रमुख होता है। इसी कारण वह सेना के बड़े-बड़े अधिकारयों को नियुक्त करता है, युद्ध की घोषणा करता है और संकटकाल में तो उसकी शक्तियाँ और भी बढ़ जाती हैं। भारत व अमेरिका का राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है।

(iii) कुटनीतिक शक्ति (Diplomacy power) : इन कर्तव्यों में कार्यपालिका का दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने, समझौता करने, युद्ध व संधि करने तथा अन्य देशों में कूटनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त करने व दूसरे देशों के ऐसे ही प्रतिनिधियों को अपने देश में मान्यता देने आदि के अनेक कर्त्तव्य सम्मिलित हैं; किन्तु वर्त्तमान काल में व्यवस्थापिका का अधिकाधिक नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। जैसे अमेरिका की सीनेट को राष्ट्रपति के द्वारा दी गई संधियों व समझौतों पर निषेधात्मक अधिकार प्राप्त है। दूसरे शब्दों में कार्यकारिणी, कुटनीतिक कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है।

(iv) कानून निर्माण की शक्ति (Power of Law Making) : वैसे कानून निर्माण सम्बन्धी कार्य व्यवस्थापिका का है, किन्तु संसदीय प्रणाली में कानून बनाने का अधिकांश भार कार्यपालिका पर आ पड़ा है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार है जिससे कानूनों का निर्माण हो सके।

(V) वित्तीय (Finance) : देश के प्रशासन को चलने के लिए कार्यकारिणी को धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसे कर लगाने होते हैं। संसदीय प्रणाली में वित्त पर व्यवस्थापिका का पूर्ण अधिकार होता है। बिना संसद में पारित हुए न कोई कर वसूल किया जा सकता है और न ही धन व्यय किया जा सकता है। अत: मंत्रिमंडल का प्रमुख कर्त्तव्य संसद में आगामी वर्ष का आय-व्यय का बजट पास करवाना होता है। यह कार्य वित्त मंत्री की ओर से होता है जो विभिन्न मंत्रालयों से संबंध स्थापित करके तथा उसके आगामी वर्ष के आय-व्यय का ब्यौरा तैयार करके देश का सम्पूर्ण बजट तैयार करते हैं।

1.4 राजनीतिक कार्यपालिका की सीमाएँ (Limitations of Political Executive)

1. इनकी प्रकृति अव्यावसायिक होती है।
2. ये दलों से सम्बन्धित होते हैं।
3. ये अस्थायी होते हैं।
4. इनका जनसम्पर्क व्यापक होता है।
5. ये मुख्य नीति निर्माता होते हैं।
6. स्पष्ट कार्य विभाजन के अभाव के कारण आपसी द्वन्द्व में वृद्वि होती है।

1.5. निष्कर्ष (Conclusion)

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक कार्यपालिका अपने कर्त्तव्य पालन में शिथिल हैं। इसलिए इनके ऊपर न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढता जा रहा है। राजनीतिक कार्यपालिका की सक्रियता बढ़ाकर इस हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है।

1.6 अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)

1. राजनीतिक कार्यपालिका क्या है ? विस्तार से समझाएँ।
   What is political executive? Explain in detail.

2. राजनीतिक कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन करे
   Describe the powers of political executive.
3. राजनीतिक कार्यपालिका की विशेषताओं का वर्णन करें।
   Describe the characteristics of the political executive

1.7. प्रस्तावित पाठ (Recommended Books)

1. इंद्रजीत कौर : लोकप्रशासन, एम. बी. डी. पब्लिकेशंस, आगरा, 2010
2. वीरकेश्वर प्रसाद सिंह : लोकप्रशासन, ज्ञानदा प्रकाशन, दिल्ली, 2011
3. अवस्थी एवं माहेश्वरी : लोकप्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 2011
4. बी.एल. फाड़िया : लोकप्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2016.

❑❑❑

लोक निगम (PUBLIC CORPORATION)

पाठ -संरचना (Lesson Structure)

1.0. उद्देश्य (Objective)
1.1. परिचय (Introduction)
1.2. लोक निगम क्या है ? (What is Public Corporation)
1.3. लोक निगम की शक्ति (Power of Public Corporation)
1.4. लोक निगम की सीमाएँ (Limitations of Public Corporation)
1.5. निष्कर्ष (Conclusion)
1.6. अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)
1.7. प्रस्तावित पाठ (Recommended Books)

1.0. उद्देश्य (Objective) :

इस पाठ का उद्देश्य लोक निगम के बारे में जानकारी प्रदान करना हैं इस पाठ के अध्ययनोपरांत विद्यार्थीगण निम्नांकित बातों से परिचित होंगे -

- लोक निगम क्या है ?
- लोक निगम की शक्ति एवं सीमाएँ क्या हैं ?

1.1. परिचय (Introduction) :

लोक निगम सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में 20वीं सदी की एक उल्लेखनीय खोज है। विश्व के प्रायः सभी राष्ट्रों में लोक निगम विद्यमान है। लोक निगम सूत्र अभिकरण होते हुए भी विभागों एवं स्वतंत्र नियामकीय आयोगों से भिन्न होते हैं। इसमें लोक एवं निजी प्रशासन दोनों के गुण पाए जाते हैं तथा दोनों के प्रशासन के अन्तर को कम करने में यह सेतु का काम करता है। लोक निगमों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रायः सरकारें अपने ऊपर उत्तरदायित्व ले चुकी है। नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा ने लोक स्वामित्व की नींव को और भी मजबूत किया है। लोक निगम में सरकारी नियंत्रण एवं वाणिज्यिक स्वतन्त्रता का उचित एवं यथार्थ सम्मिश्रण पाया जाता है। व्यावसायिक एवं निजी क्षेत्र में प्रवेश का ही परिणाम है लोक निगम।

1.2. लोक निगम क्या हैं ? (What is Public Corporation)

लोक निगमः अर्थ तथा परिभाषा

[PUBLIC CORPORATION : MEANING AND DEFINITIONS]

निगम का शाब्दिक होता है, "निरन्तर चलते रहने वाला व्यापारिक संगठन।" 'अंग्रेजी शब्द कार्पोरेशन (corporation) का हिन्दी रूपान्तर है निगम'। लोक निगम सार्वजानिक उद्यमों के प्रबन्ध व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। यह प्रणाली विभागीय प्रबंध व्यवस्था की त्रुटियों को समाप्त करने में सफल रही है, जिसमें वाणिज्यिक स्वतन्त्रता और सरकारी नियंत्रण का अदभुत समन्वय देखा जा सकता है।

लोक प्रशासन के विद्वानों ने इसकी परिभाषा और अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएँ इस प्रकार हैं -

डिमोक के शब्दों में, "लोक निगम वह सरकारी उपक्रम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने अथवा वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघीय, राज्य अथवा स्थानीय कानून के द्वारा की गई हो।"

हर्बर्ट मोरीसन के मतानुसार "लोक निगम सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकारी स्वामित्व, लोक उत्तरदायित्व तथा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए व्यापारिक प्रबंध का संयोजन है।"

विलियम जे. ग्रेन्ज के शब्दों में " निगम एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसको कानून द्वारा किन्हीं विशेष गतिविधियों तथा कार्यों को करने का अधिकार है।"

राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा था कि "लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार के अधिकार तथा निजी उद्योग की लचीलापन एवं स्वत: प्रेरणा होती है।"

हैरल्ड सीडमैन के शब्दों में, "लोक निगम को इसलिए संगठित किया जाता है कि वह कानून द्वारा स्वीकृत उद्देश्य की पूर्ति करे।"

फिफ्नर ने कहा था कि "निगम एक ऐसा निकाय है जिसे अनेक व्यक्तियों के एक व्यक्ति के रूप में काम करने के लिए स्थापित किया जाता है निगम एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसे कानून द्वारा विशेष प्रकार का काम करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

लोक निगमों की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

(अ) वित्त, ऋण सुविधाओं तथा आर्थिक क्रियाओं को विस्तृत करना
(ब) किसी औद्योगिक या व्यापारिक संगठन का प्रबंधन व संचालन
(स) किसी विशेष क्षेत्र को विकसित करना तथा
(द) सरकार की किसी नीति या लक्ष्य पूर्ति के लिए प्रयास करना।

1.3. लोक निगम की शक्ति (Power of Public Corporation)

लोक निगम की शक्ति इस प्रकार है –

1. लोक स्वामित्व (Public Ownership) : चूँकि लोक निगम एक सार्वजानिक निकाय है, इसलिए इसका स्वामित्व जनता के पास है। इस पर खर्च राजकीय कोष से होता है। अत: स्वाभाविक है कि आम जनता यानी सरकार का स्वामित्व उस पर हो।

2. लोक उत्तरदायित्व (Public Accountability) : जन-स्वामित्व होने के कारण अपने कार्यों के लिए निगम सरकार यानी जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जिस प्रकार निजी निगम अपने मालिक के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसी तरह लोक निगम देश के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती है।

3. वैधानिक व्यक्तित्व (Legal Personality) : पिफ्नर ने लोक निगमों को वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति माना है। इनका निर्माण एक विशेष कानून द्वारा किया जाता है जिसमें निगम की रूपरेखा, शक्तियों और विशिष्ट अधिकारों का उल्लेख होता है। चूँकि, निगम का एक पृथक वैधानिक व्यक्तित्व होता हैं, अत: वह किसी पर मुकदमा चला सकता है और उसपर भी मुकदमा किया जा सकता है।

4. व्यापारिक प्रकृति (Commercial Nature): लोक निगमों का प्रबंधन व्यापारिक संगठनों की तरह होता है। निगम की स्थापना जन-सेवा और व्यापार दोनों के लिए होती है। अत: इसका संगठन और इसके काम करने का ढंग व्यापारिक प्रतिष्ठानों की तरह होता है।

5. वित्तीय स्वायत्तता (Financial Autonomy): वित्तीय मामलों में लोक निगम एक स्वतंत्र संस्था है। यह किसी संपत्ति का क्रय-विक्रय कर सकती है, सरकार से कर्ज ले सकती है अथवा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से अपनी आय में वृद्धि कर सकती है। अत: निगम की वित्तीय मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते हैं। इन पर विधायिका का वित्तीय अंकुश बना रहता है।

6. प्रशासकीय स्वायत्तता (Administrative Autonomy): वित्तीय स्वायत्तता के साथ-साथ निगमों में प्रशासकीय स्वायत्तता भी देखी जा सकती है। व्यापारिक प्रकृति होने के कारण निगमों के लिए यह स्वायत्तता जरूरी है। इनके संचालक मंडल के पास प्रशासकीय मामलों में अधिक स्वायत्तता होती है। यह सच है कि निगम

की सामान्य नीति सरकार द्वारा निर्धारित होती है लेकिन दैनिक प्रशासकीय कार्यों में छूट इसे विभागों से अलग रखती है। उसे योजनाओं और कार्यक्रमों को अपने ढंग से संचालित करने का अधिकार रहता है।

1.4. लोक निगम की सीमाएँ (Limitations of Public Corporation)

1. संसदीय व्यवस्था में लोक निगमों पर संसद द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है; जैसे, संसदीय प्रश्न पूछ कर, अनुमान समिति तथा सार्वजानिक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर विचार करके।
2. लोक निगम पर कार्यपालिका का नियंत्रण रहता है तथा इससे सम्बद्ध मंत्री निगम की सामान्य सफलता और असफलता की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं।
3. लोक निगमों के ऊपर वित्तीय नियंत्रण होता है। आगामी वर्ष के लिए आम बजट प्रस्तुत करने के समक्ष सभी लोक निगमों के पिछले वर्ष के सभी लेखाओं और प्रतिवेदनों को रखा जाए।
4. उत्तरदायित्वों में अनिश्चितता होती है।
5. लोक निगम की संगठन में एकरूपता की कमी होती हैं।
6. सरकार द्वारा नियंत्रण रहता है।

1.5. निष्कर्ष (Conclusion) :

यह एक तथ्य है कि अभी तक लोक निगमों का कार्य पूर्णत: संतोषप्रद नहीं रहा है, फिर भी आज इनकी लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी है। अवश्यकता इस बात की है कि इनकी कार्यपद्धति में पारदर्शिता लाई जाए ताकि उनकी रचना का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। भविष्य में निगमों को महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करना है। अनुभवहीनता के कारण तथा तकनीकी कर्मचारियों का अभाव होने के कारण भारतीय निगमों द्वारा कई गलतियाँ हुई हैं किन्तु उनसे हमें निराश नहीं होना चाहिए। समय के साथ तथा आवश्यक अनुभव प्राप्त करने के उपरांत निगमों के कार्यों में सुधार होता जाएगा।

1.6. अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)

1. लोक निगम का अर्थ एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन करें।

   Describe the meaning and characteristics of Public Corporation.

2. लोक निगम क्या है? इसकी परिभाषा एवं सीमाओं की व्याख्या करें।

   What is public corporation ? Describe its definition and limitations.

3 . लोक निगम पर निबंध लिखें।

   Write an essay on public corporation.

1.7. प्रस्तावित पाठ (Recommended Books)

1. इंद्रजीत कौर : लोकप्रशासन, एम. बी. डी. पब्लिकेशंस, आगरा, 2010
2. वीरकेश्वर प्रसाद सिंह : लोकप्रशासन, ज्ञानदा प्रकाशन, दिल्ली, 2011
3. अवस्थी एवं माहेश्वरी : लोकप्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 2011
4. बी.एल. फाड़िया : लोकप्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2016.

❑❑❑

लोक प्रशासन का वैज्ञानिक अध्ययन एवं महत्त्व

Scientific Study of Public Administration and Importance

पाठ संरचना (Lesson Structure)

1.0 उद्देश्य (Objective)
1.1 परिचय (Introduction)
1.2 वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ (Meaning of Scientific Method)
1.3 वैज्ञानिक अध्ययन के प्रमुख चरण (Major Steps of Scientific Study)
1.4 वैज्ञानिक अध्ययन का महत्व (Importance of Scientific Study)
1.5 निष्कर्ष (Conclusion)
1.6 अभ्यास का प्रश्न (Question for Exercise)
1.7 प्रस्तावित पाठ (Recommended Books)

1.0 उद्देश्य (Objective):

इस पाठ का उद्देश्य लोक प्रशासन के वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस पाठ के अध्ययनोपरांत विद्यार्थीगण निम्नलिखित बातों से परिचित होंगे-

(i) वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या है ?
(ii) वैज्ञानिक अध्ययन के प्रमुख चरण कौन-से हैं ?
(iii) वैज्ञानिक अध्ययन के महत्व क्या हैं ?

1.1 परिचय (Introduction)

लोकप्रशासन आधुनिक राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य की समस्त क्रियाओं एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं संचालन लोक प्रशासन के द्वारा होता है। लोकप्रशासन का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है- प्रथम अर्थ में लोक प्रशासन शासकीय मामलों के संचालन की प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। द्वितीय रूप में यह अध्ययन का एक क्षेत्र माना जाता है। अपने प्रथम रूप में लोक प्रशासन एक प्रक्रिया है तथा दूसरे रूप में यह अध्ययन का विषय है। अपने दोनों ही रूपों में लोक प्रशासन का वैज्ञानिक अध्ययन अत्यंत आवश्यक है।

1.2 वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ (Meaning of Scientific Method)

लोक प्रशासन का वैज्ञानिक अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के तहत किया जाता है। लुण्डवर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है-"व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक

पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है।" उन्होंने आगे लिखा है, "समाज वैज्ञानिकों में यह दृढ़ विश्वास पाया जाता है कि उनके सम्मुख जो समस्याएँ हैं, उनका समाधान सामाजिक घटनाओं के बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण द्वारा ही संभव है। अपने यथार्थ स्वरूप में इसी उपागम को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं।"

1.3 वैज्ञानिक अध्ययन के प्रमुख चरण (Major Steps of Scientific Study)

1. निरीक्षण (Observation) - वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जिस वस्तु या घटना का अध्ययन करना हो, सबसे पहले ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण आवश्यक है। निरीक्षण निष्पक्ष एवं सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए।

2. वर्णन (Description) - निरीक्षण के बाद निरीक्षित वस्तु या घटना का वर्णन लिखना जरूरी होता है, इसके लिए सटिक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। इसके साथ ही देश, काल एवं वातावरण का वर्णन करना आवश्यक होता है, जिससे कि उन परिस्थितियों का अनुमान लगाया जा सके।

3. कार्य-कारण विवेचन (Cause and effect) - घटना को समझने के लिए कार्य-कारण की विवेचना जरूरी होती है, जिससे कि किसी प्रकार का भ्रम पैदा न हो। इसके साथ ही विभिन्न कारणों के बीच तादात्म्य स्थापित करना भी जरूरी होता है, जिससे घटना को समझने में सहायता मिलती है।

4. प्रयोगीकरण (Experimentation) - यह तकनीक आधुनिक युग की देन है। प्रयोगीकरण सत्य जानने के लिए किया जाता है। प्रयोग करते समय सच्चाई एवं ईमानदारी का निर्वाह आवश्यक है, साथ ही साथ शुद्धियों और त्रुटियों का भी ध्यान रखना पड़ता है।

5. प्राक्कल्पना (Hypothesis) - वैज्ञानिक विधि में समस्या की पहचान एवं प्रयोग के बाद एक प्राक्कल्पना तैयार की जाती है। समस्या के संभावित समाधान को ही वैज्ञानिक भाषा में प्राक्कल्पना कहा जाता है। यदि प्राक्कल्पना ठीक है, तो वह प्रयोग में सही पायी जाएगी। प्राक्कल्पना की जाँच के लिए ऐसे विभिन्न प्रयोग किए जा सकते हैं, जो प्राक्कल्पना की पुष्टि करे। प्राक्कल्पना की पुष्टि उसे सिद्धांत या नियम के रूप में स्थापित करती है।

6. अध्ययन क्षेत्र तथा अध्ययन की इकाई का निर्धारण (Allocation of field and unit of study) - प्राक्कल्पना का निर्माण हो जाने पर अध्ययन क्षेत्र और अध्ययन की इकाई तथा उसके लक्ष्य निश्चित हो जाते हैं।

7. अध्ययन पद्धतियों तथा यन्त्रों का चुनाव (Selection of methods of study and tools) - अध्ययन क्षेत्र निर्धारित हो जाने के बाद तथ्यों के संकलन के लिए अध्ययन पद्धति एवं यन्त्रों का चुनाव किया जाता है। अध्ययन पद्धति के स्तर पर दो अध्ययन पद्धति महत्वपूर्ण मानी जाती है-

(i) आगमन पद्धति (Induction Method) - इस पद्धति में विशेष से सामान्य का प्रकट होना संभव होता है। जब किसी वर्ग के कुछ सदस्यों के गुण ज्ञात हों, तो उसके आधार

पर वर्ग विशेष के गुणों के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है।

(ii) निगमन पद्धति (Deductive Method) - आगमन के विपरीत निगमन में सामान्य से विशेष की तरफ जाया जाता है। इसमें किसी वर्ग विशेष के गुणों के आधार पर उस वर्ग के किसी सदस्य के गुणों के बारे में अनुमान एवं निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्ष निकालने की इस विधि को ही निगमन कहते हैं। निगमन व्यावहारिक एवं तर्कसंगत होना आवश्यक है।

(iii) गणित और प्रतिरूप (Mathematics and Model) - गणित एवं प्रतिरूप की सहायता से बहुत सी बातों को सही रूप में समझने में मदद मिलती है।

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Outlook) - किसी अध्ययन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना अध्ययन की महत्वपूर्ण विधि है। खुले दिमाग से खोज की भावना रखकर विचार करना ही सही दृष्टिकोण है। इसमें अपने व्यक्तिगत मूल्य को अध्ययन से अलग रखकर सच्चाई एवं तटस्थ भाव से किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है।

लोक प्रशासन के अध्ययन में इन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग, लोक प्रशासन के सिद्धांतों को अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ एवं समृद्ध बनाती है।

1.4 वैज्ञानिक अध्ययन का महत्व (Importance of Scientific Study)

लोक प्रशासन के वैज्ञानिक अध्ययन का महत्व निम्नलिखित हैं-

(i) वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति लोकप्रशासन के अध्ययन में मूलभूत सिद्धांतों के विकास में मदद करती है।

(ii) इसके द्वारा लोकप्रशासन के तथ्यों का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जा सकता है।

(iii) यह लोकप्रशासन के अध्ययन में वैज्ञानिक प्रयोग एवं परीक्षण को बढ़ावा देती है।

(iv) यह प्रशासनिक तथ्यों का वर्गीकरण तथा विश्लेषण कर वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुँचने में मदद करती है।

(v) यह अध्ययन पद्धति प्रशासनिक सिद्धान्तों को ज्यादा वस्तुनिष्ठ बनाने में अहम भूमिका निभाती है।

(vi) वैज्ञानिक अध्ययन से प्रशासन की भावी क्रिया का पूर्वानुमान लगाया जा सकता हैं।

(vii) वैज्ञानिक पद्धति का सार्वभौमिक उपयोग संभव है।

1.5 निष्कर्ष (Conclusion)

लोक प्रशासन का वैज्ञानिक अध्ययन एक तरफ लोक प्रशासन को ज्यादा व्यावहारिक एवं यथार्थ अध्ययन में मदद करती है, तो दूसरी तरफ सामान्य सिद्धान्तों को विकसित करने एवं उसके सार्वभौमिक उपयोग में भी सहायक है।

1.6 अभ्यास का प्रश्न (Question for Exercise)

1. वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या है ?
   What is the meaning of Scientific method ?

2. वैज्ञानिक अध्ययन के प्रमुख चरण की व्याख्या करें ।
   Explain major steps of scientific study.
3. वैज्ञानिक अध्ययन के महत्व का विश्लेषण करें।
   Discuss the importance of Scientific study.

1.7. प्रस्तावित पाठ (Recommended Books)

1. Sharda Rath, Methods in Political and Social Research, Daya Publishing House, Delhi, 1991
2. अरुण कुमार सिंह, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोधविधियाँ, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, नई दिल्ली, 1998
3. रवीन्द्र नाथ मुकर्जी, सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2011
4. मनोज सिन्हा (संपादन), प्रशासन एवं लोकनीति, ओरियंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, 2010
5. सुषमा यादव, बलवान गौतम (संपादन), लोक प्रशासन : सिद्धांत एवं व्यवहार, ओरियंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, 2015

❑❑❑

लोक प्रशासन का क्षेत्र एवं अध्ययन-पद्धति
Scope of Public Administration and Methods of Study

पाठ-संरचना (Lesson Structure)

1.0 उद्देश्य (Objective)
1.1 परिचय (Introduction)
1.2 लोक प्रशासन का क्षेत्र (Scope of Public Administration)
1.3 लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रमुख उपागम (Major approaches to the study of public administration)
1.4 लोक प्रशासन की अध्ययन-पद्धति (Methodology of Public Administration)
1.5 निष्कर्ष (Conclusion)
1.6 अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)
1.7 प्रस्तावित पाठ (Recommended Books)

1.0 उद्देश्य (Objective) :

इस पाठ का उद्देश्य लोक प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस पाठ के अध्ययनोपरांत विद्यार्थीगण निम्नलिखित बातों से परिचित होंगे-

(i) लोक प्रशासन का अध्ययन-क्षेत्र क्या है ?

(ii) लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन-कौन से हैं ?

(iii) लोक प्रशासन की अध्ययन-पद्धति क्या है ?

1.1 परिचय (Introduction) :

लोक प्रशासन आधुनिक समाज का एक आवश्यक अंग एवं प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। लोकप्रशासन का अध्ययन-क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। आम तौर पर 'लोक' शब्द का अर्थ 'राज्य' एवं 'सरकार' से लगाया जाता है। इस अर्थ में राज्य एवं सरकार से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियाँ लोक प्रशासन के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं।

1.2 लोक प्रशासन का क्षेत्र (Scope of Public Administration) :

लोकप्रशासन के क्षेत्र को मोटे तौर पर पाँच भागों में बाँटा जा सकता है-

I. संकुचित दृष्टिकोण (Narrower View) : संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का सम्बन्ध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। साइमन के शब्दों में-"लोक

प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा द्वारा सम्पादित की जाती है।"

वस्तुतः इसका संबंध सरकार की कार्यपालिका शाखा के सभी स्तरों- राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार की तमाम गतिविधियों से लिया जाता है। जैसे-प्रशासनिक अधिकारी तंत्र, सामान्य प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, प्रशासकीय नियंत्रण एवं सामग्री प्रबन्धन आदि।

II. व्यापक दृष्टिकोण (Broader view) : इस दृष्टिकोण के अनुसार लोकप्रशासन सरकार के तीनों अंगों - कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका से संबंधित है। इसके अनुसार लोकप्रशासन के अन्तर्गत वे सभी कार्य आ जाते हैं, जिनका मकसद लोकनीति का निर्धारण एवं कार्यान्वयन करना होता है। मार्क्स ने लोकप्रशासन की व्यापक परिभाषा देते हुए कहा है- "अपने व्यापकतम क्षेत्र में लोकप्रशासन के अन्तर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाएँ आती हैं।"

निग्रो ने भी लोक प्रशासन की व्यापक परिभाषा दी है। उनके अनुसार लोकप्रशासन लोक समाज में एक सहयोगी एवं सामूहिक प्रयास है; लोकप्रशासन में कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका और तीनों के परस्पर संबंध शामिल हैं, इसकी लोकनीति की रचना में प्रमुख भूमिका होती है और इस अर्थ में लोकप्रशासन राजनीतिक क्रिया का एक भाग है, तथा लोकप्रशासन समाज की सेवा करने के क्रम में निजी समूहों एवं व्यक्तियों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।

III. पोस्डकोर्ब दृष्टिकोण (POSDCORB VIEW) : लूथर गुलिक ने इस मत को प्रतिपादन किया है। पोस्डकोर्ब शब्द अंग्रेजी के सात शब्दों के प्रथम अक्षर को मिलाकर बनाया गया है, जिसकी व्याख्या निम्नवत है-

1. P-Planning - योजना बनाना - यह प्रशासन की पहली क्रिया है, जिसके अंतर्गत कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है एवं निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नीतियों का निर्धारण किया जाता है।

2. O-Organisation - संगठन बनाना - इसके तहत प्रशासकीय कार्यों का विभाजन एवं आवंटन उचित प्रकार से किया जाता है, जिससे संगठन में समन्वय स्थापित किया जा सके।

3. S-Staffing - कर्मचारियों की नियुक्ति - इसके अन्तर्गत संगठन की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं उनके कार्य करने के लिए अनुकूल दशाओं का निर्माण करना है।

4. D-Directing - निर्देशन करना - इसके तहत कर्मचारियों को कार्यों के संबंध में निर्देशन करना एवं यह सुनिश्चित करना कि वे अपना कार्य निर्धारित निर्देशों के आधार पर करें।

5. Co-ordinating - समन्वय स्थापित करना - इसके अन्तर्गत कार्यों के विभिन्न भागों

को परस्पर संबंधित करना एवं उनके बीच समन्वय स्थापित करना जिससे प्रत्येक के मध्य सहयोग स्थापित किया जा सके।

6. R-Reporting - रिपोर्ट बनाना - इसके तहत वरिष्ठ एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच प्रतिवेदन के माध्यम से सूचना प्रदान की जाती है।

7. B-Budgeting - बजट बनाना - इसके अंतर्गत प्रशासन वित्तीय जरूरतों के अनुसार बजट तैयार करता है।

उपर्युक्त 'पोस्डकोर्ब' क्रियाएँ सभी संगठनों में संपन्न की जाती हैं।

पोस्डकार्ब दृष्टिकोण की आलोचना : इस दृष्टिकोण के आलोचकों का मानना है कि यह केवल प्रशासन के तकनीकों से सम्बन्धित है, उसके विषयवस्तु से नहीं। जबकि प्रशासन के लिए विषयवस्तु एवं तकनीक दोनों ही मायने रखती है।

IV. लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण (Welfare view) : इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले समस्त कार्यों से लिया जाता है, जिससे कि लोगों को सद्जीवन एवं सुशासन उपलब्ध कराया जा सके।

1.3 लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रमुख उपागम (Major approaches to the study of public administration)

लोक प्रशासन के अध्ययन उपागम को मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा जा सकता है-

(i) परम्परागत उपागम (Traditional Approach)

(ii) आधुनिक उपागम (Modern Approach)

परंपरागत उपागम : यह उपागम शास्त्रीय या संगठनात्मक उपागम भी कहलाता है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित उपागम मुख्य रूप से आते हैं-

1. कानूनी उपागम (Legal Approach)
2. दार्शनिक उपागम (Philosophical Approach)
3. नौकरशाही उपागम (Bureacratic Approach)
4. वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम (Scientific Management Approach)

1. कानूनी उपागम (Legal Approach) : यह उपागम लोकप्रशासन को कानून का एक अंग मानता है तथा सत्ता की औपचारिक कानूनी संरचनाओं के अध्ययन पर विशेष बल देता है। इस उपागम का विकास यूरोप में हुआ। वुडरो विल्सन इस उपागम के प्रमुख समर्थक हैं। उनके अनुसार 'लोकप्रशासन कानून का ही एक क्रमबद्ध अध्ययन है। यह उपागम औपचारिक संगठन एवं संरचनाओं पर विशेष बल देता है।

आलोचना : इस उपागम की पहली आलोचना यह कहकर की जाती है कि इसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक उपागम पर बल नहीं दिया जाता है।

इसकी दूसरी में आलोचना में यह कहा जाता है कि इसमें अनौपचारिक संगठनों को महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि अध्ययन की दृष्टि से औपचारिक संगठनों के साथ-साथ

अनौपचारिक संगठनों का भी महत्व होता है।

2. दार्शनिक उपागम (Philosophical Approach) : यह उपागम अध्ययन का सबसे प्राचीन उपागम है। इस उपागम का दायरा बहुत बड़ा है, इसके अन्तर्गत लोकप्रशासन के समस्त सिद्धांतों एवं आदर्शों एवं क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। यह उपागम महाभारत के 'शांति पर्व' प्लेटों के 'रिपब्लिक' हॉब्स के 'लेवियाथन' एवं जॉन लॉक के 'ट्रिटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट' में पाया जाता है।

3. नौकरशाही उपागम (Bureaucratic Approach) : इस उपागम के प्रमुख समर्थक मैक्सवेबर माने जाते हैं। उसने नौकरशाही को 'नियुक्त किए गए कर्मचारियों का एक समूह माना'। उसने सत्ता के तीन प्रकारों की चर्चा की - पारपंरिक, करिश्माई एवं वैध - विवेकपूर्ण। उसने नौकरशाही को वैध-विवेकपूर्ण सत्ता के प्रयोग के एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया।

नौकरशाही उपागम लोकप्रशासन को एक ऐसे औपचारिक संगठन के रूप में देखता है जहाँ वैध विवेकपूर्ण सत्ता का प्रयोग संगठन के अंतर्गत अधिकतम उत्पादकता एवं कार्यकुशलता प्राप्त करने एवं नियंत्रण बनाये रखने के लिए किया जाता है।

आलोचना - नौकरशाही उपागम औपचारिक नियमों एवं विनियमों के अनुपालन पर विशेष बल देता है, जिसके कारण इसमें अनौपचारिक संगठन, मानव संबंध एवं लोक संपर्क की कमी पाई जाती है।

4. वैज्ञानिक प्रबंध उपागम (Scientific Management Approach) : इस उपागम के प्रमुख समर्थक एफ.डब्ल्यू. टेलर माने जाते हैं। इन्होंने प्रशासन को प्रबंध का विज्ञान बनाने की कोशिश की एवं प्रबंध को विज्ञान बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग पर बल दिया। यह उपागम प्रबंध के सिद्धांत के अन्तर्गत काम के समुचित तरीके, कार्मिकों के वैज्ञानिक दृष्टि से चयन, उनमें परस्पर समन्वय, समुचित प्रशिक्षण एवं प्रबंध एवं कामगारों के बीच परस्पर सहयोग पर बल देती है।

आलोचना - यह उपागम प्रबंध के यांत्रिक दृष्टिकोण पर ज्यादा बल देता है, जिससे प्रशासन के मानवीय पहलुओं की अनदेखी हो जाती है।

(ii) आधुनिक उपागम (Modern Approach): इसके अन्तर्गत निम्नलिखित उपागम प्रमुख रूप से आते हैं-

1. मानव संबंध उपागम (Human Relation Approach)
2. व्यवहारवादी उपागम (Behavioural Approach)
3. व्यवस्था उपागम (System Approach)
4. संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम (Structural Functional Approach)
5. पारिस्थितिकी उपागम (Ecological Approach)

1. मानव संबंध उपागम (Human Relation Approach) : इस उपागम के प्रमुख

समर्थक एल्टन मेयो माने जाते हैं, जिन्होंने संगठन के मानवीयकरण' पर बल दिया। उन्होंने शिकागो स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथोर्न प्लांट पर किए गए 'हॉर्थोर्न प्रयोग' के आधार पर मानव संबंधवाद उपागम का विकास किया। इस उपागम को संगठन की अनौपचारिक संकल्पना के रूप में जाना जाता है।

इन प्रयोगों ने यह सिद्ध किया कि मानवीय व्यवहारों पर मानव की आदतों, चरित्र, भावनाओं, समाज व्यवस्था, मूल्यों एवं परम्पराओं का जो प्रभाव पड़ता है, उनसे संगठन भी प्रभावित होता है। संगठन की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता श्रमिकों के शारीरिक सामर्थ्य मानसिक संतोष एवं विशेषीकरण के आधार पर श्रम विभाजन के आधार पर प्रभावित होती है।

आलोचना – यह उपागम संगठन के मानवीय पहलू पर बल देता है लेकिन प्रशासन पर अन्य तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है; जैसे प्रशासन का ढाँचा, सिद्धांत एवं उसकी पारिस्थितिकी।

2. व्यवहारवादी उपागम (Behavioural Approach) : इस उपागम के प्रमुख समर्थकों में हरबर्ट साइमन एवं राबर्ट डाल का नाम प्रमुख है। साइमन ने अपनी पुस्तक 'एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर' में प्रशासन में व्यवहारवाद की चर्चा की है। साइमन के अनुसार लोकप्रशासन के अध्ययन में प्रशासनिक स्थितियों, व्यक्तिगत एवं सामूहिक, मानवीय व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए। व्यवहारवादियों का मानना है कि संगठन के अंतर्गत निर्णय की प्रक्रिया समस्त मानवीय क्रियाओं जैसे - सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण में प्रभावित होती है।

आलोचना - इस उपागम का इस आधार पर अलोचना की जाती है कि यह मानवीय मूल्यों के प्रति एकमत नहीं है।

3. व्यवस्था उपागम (System Approach) : इस उपागम के प्रमुख समर्थकों में हरबर्ट साइमन एवं चेस्टर बर्नार्ड का नाम प्रमुख है। साइमन ने संगठन को एक संपूर्ण व्यवस्था, वांछित परिणाम प्राप्त करने में सहायक सभी उपव्यवस्थाओं (sub system) के समुच्चय के रूप में देखने का प्रयास किया है। चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखने का प्रयास किया है।

आलोचना – यह उपागम यह स्पष्ट नहीं कर पाता है कि निर्णय प्रक्रिया तथा लोक नीति किस प्रकार वातावरण एवं प्रशासनिक व्यवस्था के स्वरूप से प्रभावित होती है।

4. संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम (Structural Functional Approach) : इस उपागम के प्रमुख समर्थक एफ. डब्ल्यू रिग्स माने जाते हैं। यह अध्ययन प्रशासन में दो तत्वों पर बल देता है- संरचना एवं कार्य। हरेक संरचनाओं का संबंध कुछ कार्यों को करने से लिया जाता है। रिग्स ने इस उपागम का प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से किया है। रिग्स का मानना है कि प्रत्येक व्यवस्था कई संरचनाओं से मिलकर बनी होती है और विशिष्ट प्रकार के कार्यों का संपादन करती है। रिग्स के अनुसार हर समाज में पाँच महत्वपूर्ण प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं- आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, संचारगत एवं सांकेतिक। ठीक इसी तरह के प्रकार्यों की आवश्यकता सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था में पड़ती है, जहाँ विभिन्न

संरचनाएँ विभिन्न कार्यों को पूरा करती हैं। संरचनात्मक - प्रकार्यात्मक उपागम इन संरचनाओं, प्रकार्यों एवं कार्यविधियों का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है।

आलोचना - यह उपागम सभी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के समग्र अध्ययन में कारगर नहीं है।

5. पारिस्थितिकी उपागम (Ecological Approach) - इस उपागम के प्रमुख समर्थकों में जॉन गॉस एवं एफ. डब्ल्यू रिग्स माने जाते हैं।

इस उपागम की मुख्य मान्यता यह है कि प्रशासनिक व्यवहार जिस प्रशासनिक संस्कृति में कार्य करता है, न सिर्फ उस परिवेश से प्रभावित होता है बल्कि उसे गंभीर रूप से प्रभावित भी करता है। परिवेश ही वह तत्व है, जो प्रशासन के स्वरूप का निर्धारण करता है।

यह उपागम लोकप्रशासन की पारिस्थितिकी के अध्ययन में व्यक्तित्व, संपदा, सामाजिक एवं वैज्ञानिक तथा मौलिक तकनीकों, प्राकृतिक आपदाओं एवं लोगों के व्यवहार, आकांक्षाओं एवं विचार आदि को शामिल किए जाने पर बल देता है।

आलोचना - इसकी आलोचना पाश्चात्य मूल्यों के समर्थक, परिवर्तन के विरोधी एवं यथास्थितिवाद के पोषक के रूप में की जाती है।

1.4 लोक प्रशासन की अध्ययन-पद्धति (Methodology of Public Administration)

लोकप्रशासन के अध्ययन की अपनी पद्धति है, जिसके द्वारा प्रशासनिक तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं एवं विश्लेषण कर उनसे निष्कर्ष पर पहुँचने में मदद मिलती है। लोकप्रशासन के अध्ययन पद्धति को सामान्य रूप से निम्न भागों में बाँटा जा सकता है-

(1) वैज्ञानिक पद्धति (Scientific Method)
(2) वैधानिक पद्धति (Legal Method)
(3) ऐतिहासिक पद्धति (Historical Method)
(4) विषय अध्ययन-पद्धति (Case Study Method)
(5) तुलनात्मक पद्धति (Comparative Method)
(6) सांख्यिकीय पद्धति (Quantitative Method)
(7) व्यवहारवादी पद्धति (Behavioural Method)

(1) वैज्ञानिक पद्धति (Scientific Method) : लोकप्रशासन की वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत प्रेक्षण (Observation) अभिलेख बनाना (Recording), वर्गीकरण (Classification), प्राक्कल्पना (Hypothesis), सत्यापन (Verification) एवं पूर्वानुमान (Prediction) सम्मिलित है। इसे प्रायोगिक पद्धति भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत लोक प्रशासन के समस्त संरचनाओं एवं कार्यों को वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकाला जाता है।

(2) वैधानिक पद्धति (Legal method) : यह लोकप्रशासन का अध्ययन कानूनी पद्धति से करता है। किसी देश में दो प्रकार के कानून प्रचलित होते हैं - संवैधानिक कानून एवं प्रशासकीय कानून। राजनीति का अध्ययन संवैधानिक कानून द्वारा और लोक प्रशासन का

अध्ययन प्रशासकीय कानून द्वारा होता है। यह पद्धति उपयोगी इसलिए है, क्योंकि प्रशासन को वैधानिक सीमाओं के अंदर ही काम करना है।

(3) ऐतिहासिक पद्धति (Historical method) : ऐतिहासिक ज्ञान किसी भी प्रशासन के अध्ययन के लिए आवश्यक माना जाता है। प्रायः हर राष्ट्र का प्रशासन प्राचीन परम्पराओं से प्रभावित होता है। बहुत सी आधुनिक प्रशासनिक समस्याओं का समाधान ऐतिहासिक प्रशासनिक अनुभवों में निहित होता है। इसलिए लोक प्रशासन में ऐतिहासिक पद्धति उपयोगी भूमिका अदा करती है।

(4) विषय अध्ययन पद्धति (Case Study Method) : लोकप्रशासन के अध्ययन की यह पद्धति व्यक्ति या घटना के संदर्भ को केन्द्रीय महत्त्व देती है। वाल्डो के अनुसार विषय अध्ययन पद्धति समाजशास्त्रीय उद्देश्यों एवं पद्धतियों की प्रतिबद्धता से प्रेरित है। यह संवेदनशील पद्धति है।

(5) तुलनात्मक पद्धति (Comparative Method) : आधुनिक लोकप्रशासन तुलनात्मक लोकप्रशासन है। यह पद्धति तुलनात्मक ढंग से संगठन का सिद्धांत, प्रशासनिक व्यवस्था, नौकरशाही की कार्यप्रणाली, व्यवस्थापिका का व्यवहार आदि का अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन पद्धति मुख्यतः अनुभवमूलक (Emperical) है।

(6) सांख्यिकीय पद्धति (Quantitative Method) : किसी भी क्षेत्र में सही वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति इस बात पर आधारित है कि उसमें तथ्यों एवं परिणामों की सांख्यिकीय माप (quantitative measurement) कहाँ तक संभव है। लोकप्रशासन में दो क्षेत्रों में यह पद्धति अपनाई जाती है-

(i) प्रशासन के संबंध में जनमत या उसकी प्रतिक्रिया लेने के संबंध में, और

(ii) जब प्रशासकीय कर्मचारियों के कार्यभार तथा उसकी वित्तीय आवश्यकता का परिमापन करना हो।

सम्पूर्ण वित्तीय प्रशासन - बजट, लेखा, लेखा-परीक्षण एवं कार्य बजट (Performance Budget) में यह पद्धति सफल साबित हुई है।

(7) व्यवहारवादी पद्धति (Behavioural Method) : व्यवहारवादी पद्धति लोकप्रशासन के अध्ययन में विशेष बल प्रशासनिक संगठन में मानवीय व्यवहार के स्वरूप पर देता है यह प्रशासन के आनुभविक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं एवं निर्णय प्रक्रिया को एक ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना है, जिसका प्रेक्षण कर लिया गया हो अथवा जिसका प्रेक्षण किया जा सकता हो। स्मिथ वर्ग के मतानुसार, लोक प्रशासन की व्यवहारवादी पद्धति चार विशेषताओं पर बल देती है-

(i) व्यक्ति तथा प्रशासनिक ढाँचे में उसके व्यवहारों व सम्बन्धों पर जोर देना।

(ii) प्रशासनिक संगठन का अध्ययन एक सामाजिक प्रणाली के रूप में किया जाना। पूर्व में संगठन के औपचारिक सम्बन्धों के अध्ययन पर बल दिया जाता था, जबकि अब

अनौपचारिक सम्बन्धों पर भी जोर दिया जाने लगा है।

(iii) सम्प्रभुता सिद्धांत के स्थान पर औचित्यता (Legitimacy) के सिद्धांत पर बल दिया जाना।

(iv) संचार के साधनों में औपचारिकता के स्थान पर अनौपचारिक साधनों का अध्ययन।

1.5 निष्कर्ष : लोकप्रशासन के अध्ययन में उपर्युक्त सभी उपागम एवं पद्धतियाँ उपयोगी हैं। इन उपागम या पद्धतियों में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है, बल्कि ये एक-दूसरे के पूरक हैं, जो एक दूसरे के दोषों एवं कमियों को दूर करती हैं। लोकप्रशासन की समस्या एवं इसके समाधान में यह समस्त पद्धतियाँ एक अंर्तदृष्टि प्रदान करती हैं।

1.6 अभ्यास के प्रश्न (Question for Exercise)

I. लोकप्रशासन के अध्ययन क्षेत्र की विवेचना करें।

Describe the scope of Public administration.

II. लोकप्रशासन के अध्ययन के प्रमुख उपागम का वर्णन करें।

Discuss major approaches to the study of Public Administration.

III. लोकप्रशासन की मुख्य अध्ययन-पद्धति की व्याख्या करें।

Explain main methodology of Public Administration.

1.7. प्रस्ताविक पाठ (RECOMMENDED BOOKS)

1. Sharda Rath, Methods in Political and Social Research, Daya Publishing House, Delhi, 1991
2. अरुण कुमार सिंह, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोधविधियाँ, मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली, 1998.
3. रवीन्द्र नाथ मुकर्जी, सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2011
4. मनोज सिन्हा (संपादन), प्रशासन एवं लोकनीति, ओरियंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, 2010.
5. सुषमा यादव, बलवान गौतम (संपादन), लोक प्रशासन : सिद्धांत एवं व्यवहार, ओरियंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, 2015
6. बी.एल. फड़िया, लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2015.
7. विष्णु भगवान, विद्याभूषण, लोक प्रशासन का सिद्धांत, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि, नई दिल्ली, 2018.

❑❑❑